

दिनांक

आज्ञा पत्र

28.10.25

पत्रावली पेश। बकील अपीलत को पूर्व पेशी पर हस्तगत दी गई या नहीं आपकी तिथि से पूर्व तामील से सेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अनिवार्य आपकी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये म्ये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल शुभर होकर लम्बे समय होकर बाद करतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

